न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 47/2018

1. देवकीनन्दन पुत्र हीरालाल जाति कलवार
2. बृजमोहन पुत्र प्रभुलाल जाति कलाल निवासीगण कृष्णा कॉलोनी छीपाबडौद जिला बारां

.... वादीगण

♠ बनाम ♠

1. राधाकिशन
2. रामचरण

} पुत्रान मूलचंद जाति धाकड निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

3. मंजु बाई पत्नि माणकचंद जाति तेली निवासी सीसवाली जिला बारां

....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव
दायर दिनांक--07.06.2018 निर्णय दिनांक : 07.06.2018

वादपत्र में वादीगण ने कथन किया कि ग्राम सीसवाली में खाता संख्या 189 खसरा नं0 1255 रकबा 0.96 है0 खसरा नं0 1440 रकबा 0.63 है0 किता 2 रकबा 1.59 है0 में हिस्सा 1/4 में 1/2 दर्ज है। उक्त आराजी वादीगण ने प्रतिवादीगण से खरीद की थी। उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/4 में 1/2 को वादीगण अपने पृथक खाते दर्ज कराना चाहता है। जिसका वो अधिकारी है अतः निर्णय एवं डिकी इस आशय की पारित की जावे कि खाता संख्या 189 खसरा नं0 1255 रकबा 0.96 है0 खसरा नं0 1440 रकबा 0.63 है0 किता 2 रकबा 1.59 है0 में हिस्सा 1/4 में 1/2 हिस्सा वादीगण के पृथक खाते दर्ज किया जावे व राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.06.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने मजमेंआम में उपस्थित होकर दिनांक 07.06.2018 को जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समस्त बिन्दुओ को स्वीकार किया है एवं किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही करवायी है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। चूकि प्रतिवादीगण को ग्राम सीसवाली में खाता संख्या 189 खसरा नं0 1255 रकबा 0.96 है0 खसरा नं0 1440 रकबा 0.63 है0 किता 2 रकबा 1.59 है0 में हिस्सा 1/4 में 1/2 को वादीगण के पृथक खाते दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं वादपत्र में वादीगण द्वारा किये गये निवेदन के

पर ग्राम सीसवाली में खाता संख्या 189 खसरा नं0 1255 रकबा 0.96 है0 खसरा नं0 1440 रकबा 3 है0 किता 2 रकबा 1.59 है0 में हिस्सा 1/4 में 1/2–1/2 हिस्सा दक्षिणी ओर वादीगण के खाते पृथक से दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व नक्शे को दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प सीसवाली भजमेंआम में सुनाया गया।